राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर

वित्त (नियम) विभाग, मुख्यालय

क्रमांकःएफ4(13)/मु./वित्त/नियम/ 2016/2891 दिनांकः 17.05.2016

कार्यालय आदेश

प्रायः यह देखने में आया है कि निगम की विभिन्न इकाईयों एवं मुख्यालय के विभिन्न विभागों द्वारा वित्त विभाग को प्रेषित किये जाने वाले प्रकरण /पत्रावलियों के सम्बन्ध में पूर्व में जारी वित्तीय सलाहकार के परिपत्र क्रमांक एफ4/लेखा/नियम/मुख्या./सामा./2000/15620 दिनांक 20.12.2000 में वर्णित निर्देशों की कठोरता से पालना न की जाकर पत्रावलियॉ/प्रकरण वित्त विभाग को प्रेषित किये जा रहे है । जिसके फलस्वरूप प्रकरणों के निस्तारण में अनावश्यक रूप से विलम्ब होता है।

अतः इस सम्बन्ध में समस्त विभागाध्यक्षों/इकाई प्रभारियों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि:–

1) RTC, ACT के अनुसार जिन प्रकरणों में वित्तीय सलाहकार की राय/टिप्पणी अनिवार्य है वह प्रकरण वित्त विभाग को प्रेषित किये जावे ।
2) वित्त विभाग को ऐसे मामले ही प्रेषित किए जावे जिनमें वित्त विभाग की सहमति आवश्यक हो ।
3) वित्तीय नियमों की व्याख्या सम्बन्धी मामले ही प्रेषित कराये जावे ।
4) वित्त विभाग को प्रेषित की जाने वाली पत्रावली पर एक स्वंय पूरित टिप्पणी मय प्रस्ताव जिसमें सम्पूर्ण तथ्यों का विवरण एवं वित्त विभाग द्वारा की जाने वाली कार्यवाही/राय हेतु स्पष्ट बिन्दुओं का अंकन करे ।
5) सम्बन्धित नियमों का उल्लेख तथा पूर्व में निर्णित ऐसे मामलों की जानकारी के साथ सम्बन्धित विभाग/इकाई की सम्मति प्रेषित करावें ।
6) जहॉ सम्बन्धित इकाई/विभाग उसको प्रदत्त की गई शक्तियों के अधीन अपने स्तर पर ऐसे मामलों का निपटारा करने हेतु सक्षम हो, तो ऐसे मामलों को वित्त विभाग को भेजने का औचित्य स्पष्ट करावे।
7) पत्रावली की जांच/परीक्षण सम्बन्धित विभाग/इकाई में पदस्थापित वित्त कर्मी से करवायी जावे ।
8) प्रकरण विशेष से सम्बन्धित पत्रावली वित्त विभाग को दो बार से ज्यादा प्रेषित न की जावे ।
9) पत्रावली पर प्रस्तुत प्रकरण वित्त नियमों से सम्बन्धित न होने की स्थिति में सम्बन्धित विभाग में पदस्थापित वित्त कर्मी द्वारा यह टिप्पणी की जावे कि प्रकरण के सम्बन्ध में कोई ज्ञान नही है।
10) प्रकरण विभागाध्यक्ष के अधीन वित्त कर्मी के स्तर से निस्तारण योग्य होने की स्थिति में भी पत्रावली वित्त विभाग को प्रेषित की जाती है तो उसमें सम्बन्धित वित्त कर्मी द्वारा स्पष्ट उल्लेख किया जावे कि नियमो की ज्ञान नही होने के कारण पत्रावली राय/टिप्पणी हेतु भिजवाई जा रही है।
11) वित्त विभाग को प्रेषित की जाने वाली समस्त पत्रावली/प्रकरण सम्बन्धित विभागाध्यक्ष के माध्यम से ही भिजवायी जावे ।

उपरोक्त दिशा–निर्देशो की पालना कठोरता से की जावे, निर्देशों की अवहेलना की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

(राजेश यादव)
प्रबन्ध निदेशक

9

क्रमांकःएफ4(13)/मु./वित्त/नियम/2016/2891 दिनांकः 17-05-2016

निम्न को प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1 निजी सचिव, अध्यक्ष/ प्रबन्ध निदेशक, रा.रा.प.प. निगम, मुख्यालय जयपुर ।
2 कार्यकारी निदेशक( ), रा.रा.प.प. निगम, मुख्यालय जयपुर ।
3 महा प्रबन्धक( ), रा.रा.प.प. निगम, मुख्यालय जयपुर ।
3 उप महा प्रबन्धक ( )/कार्यकारी प्रबन्धक, ( )रा.रा.प.प. निगम, मु जयपुर ।
5 उप महा प्रबन्धक (आई.टी.) निगम के वित्त विभाग की वेबसाईट पर इस आदेश को अपलोड करावें ।
6 निगम सचिव, रा.रा.प.प. निगम, मुख्यालय जयपुर ।
7 मुख्य उत्पादन प्रबन्धक/लेखाधिकारी, के0 कार्यशाला, रा.रा.प.प. निगम, ... ।
8 लेखाधिकारी( ) रा.रा.प.प. निगम, मुख्यालय जयपुर ।
9 मुख्य प्रबन्धक/प्रबन्धक (वित्त), रा.रा.प.प. निगम, ... ।
10 सहायक लेखाधिकारी ग्रेड—I( ), रा.रा.प.प. निगम, मुख्यालय जयपुर ।
11 आदेश/रक्षित पत्रावली ।

(जी.डी.व्यास)
वित्तीय सलाहकार